



Neutral Citation No.- 2026:AHC:128766

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-9244/2026

शैलेंद्र विक्रम

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याची के अधिवक्ता: अंजुम हक, नीरज कुमार श्रीवास्तव, शैलेश कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मु.स्था.अधि.

न्यायालय संख्या-73

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन

1. याची की विद्वान अधिवक्ता, सुश्री अंजुम हक तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याची ने दिनांक 30.05.2026 के उस स्थानांतरण आदेश पर आपत्ति की है, जिसके द्वारा याची को प्रयागराज से बलरामपुर स्थानांतरित किया गया है। याची के अधिवक्ता ने दिनांक 05.05.2026 की स्थानांतरण नीति पर भरोसा जताया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कार्यरत व्यक्ति दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला है, तो गृह जिले को छोड़कर उसे उसकी पसंद के स्थान पर पदस्थापन दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। तत्काल संदर्भ हेतु, खंड 5(v) नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:

"5(v). 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासंभव विचार किया जाए। इसके लिए पूर्व में उस मण्डल/जनपद में उसकी तैनाती अवधि को संज्ञान में लिया जाए।"

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने खंड 5(iii) पर भी भरोसा जताया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि पति तथा पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो उनके पदस्थापन के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्थान को एक ही जिले में रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। तत्काल संदर्भ हेतु खंड 5(iii) नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:

"iii. किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत माता या पिता के अवयस्क बच्चों के पालन पोषण/देखभाल इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानांतरण/समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

यदि पट्टी-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानांतरण किया जा सकेगा।"

4. दिनांक 05.05.2006 की स्थानांतरण नीति के उपर्युक्त खंडों पर भरोसा जताते हुए, याची ने दिनांक 08.05.2026 को स्थानांतरण नीति के दृष्टिगत उस पर विचार करने के अनुरोध के साथ एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार कार्यरत व्यक्ति को उसकी पसंद का पदस्थापन दिए जाने का अधिकारी माना गया है। इस न्यायालय की खंडपीठ के विशेष अपील संख्या 564/2024 (जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 05.06.2024 के निर्णय पर भी भरोसा जताया गया है, जिसमें ए.एल. कालरा बनाम प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. [(1984) 3 एससीसी 316] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की है कि जहां राज्य का कोई सरकारी आदेश/स्थानांतरण नीति है, वहां कर्मचारी की यह वैध अपेक्षा होती है कि सरकारी आदेश से मिलने वाले लाभ कर्मचारी पर लागू किए जाएंगे; तथा तदनुसार स्थानांतरण नीति के प्रभाव को राज्य सरकार पर बाध्यकारी माना गया।
5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे इस न्यायालय के रिट-ए संख्या 9032/2026 (जय भगवान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित दिनांक 09.06.2026 के निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसमें आवेदन के निस्तारण तक स्थानांतरण के आदेश को स्थगित रखा गया था।
6. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने, अभिलेख पर लिए गए निर्देश के आधार पर, यह प्रस्तुत किया है कि नीति यह परिकल्पना करती है कि 'यथासंभव' पति तथा पत्नी का पदस्थापन स्थान एक ही जिले में होना चाहिए; तथापि वे इस बात का खंडन



करने में असमर्थ हैं कि दिनांक 05.07.2026 की नीति के खंड 5(v) के अधीन, यह नीति का आदेश है कि यदि कोई कर्मचारी दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला है, तो उसे उसकी पसंद का जिला पदस्थापन हेतु दिया जा सकता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 3 को इस आदेश की प्रमाणित प्रति की तामील की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर, दिनांक 06.05.2026 की स्थानांतरण नीति का कड़ाई से अनुपालन करते हुए दिनांक 08.05.2026 के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

7. इस बीच, उपर्युक्त आवेदन के निस्तारण तक, आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.05.2026 के को प्रभावी नहीं किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन)

23 जून, 2026

ऐमन
